न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 191/2015

1 बीरबल सिंह पुत्र नागरराम जाति जाट निवासी ढ़ाका माण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 गोकलराम पुत्र नागरराम मृतक।
1/1 तारावती पत्नी गोकलराम।
1/2 ईश्वर सिंह पुत्र गोकलराम।
1/3 मानसिंह पुत्र गोकलराम।
1/4 सज्जनपाल पुत्र गोकलराम।
1/5 राजकला पुत्र गोकलराम।
2 महताब सिंह पुत्र नागरदास।
3 महेन्द्रा पत्नी हनुमान सिंह।
4 रामेश्वर पुत्र सुलतान।
5 बुद्वराम पुत्र सुलतान।
6 रामचन्द्र पुत्र सुलतान समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाका मण्ड़ी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
7 धर्मचन्द पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी ढ़ाका मण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू हाल आबाद 76बी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नगर अजमेर रोड़ गोपालपुरा बाईपास हिरापुरा जयपुर।
8 राजस्थान ग्रामीण बैंक बुहाना जरिये शाखा प्रबन्धक।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

9 भगवाना पुत्र नन्दा मृतक।

9/1 शांति स्त्री भगवाना।

9/2 रोहिताश पत्रु भगवाना।

9/3 सज्जन कुमार पुत्र भगवाना।

9/4 मुक्तयार सिंह पुत्र भगवाना समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाका मण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

9/5 सुमित्रा पुत्री भगवाना स्त्री हरवीर ।

9/6 धनकोरी पुत्री भगवाना स्त्री रामवतार समस्त जाति जाट निवासीगण बाढ़ड़ा तहसील सतनाली जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)।

9/7 कविता पुत्री भगवाना स्त्री रमेश कुमार जाति जाट निवासी ढ़ाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

10 नारायण पुत्र भूरा।

11 छोटु पुत्र सांवल।

12 प्रताप सिंह पुत्र सांवल।

13 जुगलाल पुत्र सांवल मृतक।

13/1 सुमित्रा स्त्री जुगलाल।

13/2 राकेश पुत्र जुगलाल।

14 चन्द्रभान पुत्र सांवल।

15 सत्यवीर पुत्र सांवल।

16 महिपाल पुत्र सांवल समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाका मण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

17 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बुहाना जरिये शाखा प्रबन्धक।

18 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनु)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 20.10.2015 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना मुकदमा नम्बर 82ए/2014 मुकदमा उनवानी बीरबल सिंह बनाम गोकलराम दावा बाबत खाता विभाजन एवं धारा 251क राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 एवं स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुस्ताक अली खां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील संख्या 93/2017

1 रामचन्द्र पुत्र सुल्तान।
2 बुद्वराम पुत्र सुल्तान।
3 भगवाना पुत्र नन्दा।
4 नारायण पुत्र भूरा।
5 प्रताप पुत्र सांवलराम।
6 जुगलाल पुत्र सांवलराम।
7 चन्द्रभान पुत्र सांवलराम।
8 महिपाल पुत्र सांवलराम।
9 सत्यवीर पुत्र सांवलराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाका मण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर झुंझुनूं

बनाम

1 बीरबल सिंह पुत्र नागरराम।
2 गोकलराम पुत्र नागरराम मृतक।
3 महताब सिंह पुत्र नागरदास।
4 महेन्द्रा पत्नी हनुमान सिंह।
5 रामेश्वर पुत्र सुलतान।
6 धर्मचन्द पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी ढ़ाका मण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू हाल आबाद 76बी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नगर अजमेर रोड़ गोपालपुरा बाईपास हिरापुरा जयपुर।
7 छोटु पुत्र सांवल।
8 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बुहाना जरिये शाखा प्रबन्धक।
9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना।
10 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा प्रबन्धक बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2012 बउनवानी मुकदमा बीरबल सिंह बनाम गोकुलराम वगैरह मुकदमा नम्बर 105/2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनू।

उपस्थिति :

3. श्री मुस्ताक अली खां, अधिवक्ता अपीलांट
4. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी
झुंझुनू

—निर्णय—

दिनांकः—9/11/20

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 82/2014 में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2015 एवं 30.07.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी बीरबल सिंह की ओर से भूमि खसरा नम्बर 1,2,10,117,121,85,88,190 वाके ग्राम ढ़ाका माण्डी तहसील बुहाना के सन्दर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत कर पक्षकारान की भूमि में रास्ते का प्रावधान रखते हुये पक्षकारान की भूमि से रास्ते को निकटतम कटानी रास्ते से धारा 251ए के अन्तर्गत जोड़ने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2012 को विभाजन की एकपक्षीय डिक्री पारित की गई। इस एकपक्षीय डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 5,6,9,10,12 से 16 की ओर से धारा 5 के आवेदन के साथ अपील संख्या 93/2017 प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 20.10.2015 को अन्तिम डिक्री जारी की गई है। इससे व्यथित होकर वादी अपीलांट द्वारा अपील संख्या 191/2015 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता मुस्ताक अली खांन ने तर्क दिया कि प्राथमिक डिक्री रेस्पोडेंट की अनुपस्थिति में जारी की गई है। धारा 251ए की कार्यवाही प्रथक से की जानी चाहिए थी। धारा 251ए के लिये मौका रिपोर्ट आवश्यक होती है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध सम्यक तामील करवाये बिना विधि विरूद्ध रूप से एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया है। विचारण न्यायालय में बिना साक्ष्य सुनवाई विधि विरूद्ध रूप से प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। वादी द्वारा रास्ते की मांग दुर्भावनावश की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अत अपील स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री खारिज की जावें।

विद्वान अधिवक्ता राजेशा पूनियां ने तर्क दिया कि अपील संख्या 93/2017 के अपीलांट ने प्राथमिक डिक्री की अपील की है। अन्तिम डिक्री की अपील नही की है। इस अपील में अपीलांट ने मृतक पक्षकार गोकल, जुगलाल, भगवानाराम के वारिसान को रिकार्ड पर नही लिया है। ऐसी स्थिति में मृतक पक्षकार के विरूद्व होने से अपील अबैट हो चुकी है। अन्तिम डिक्री के सन्दर्भ में अपीलांट ने कथन किया है कि प्राथमिक डिक्री में जारी निर्देशों की पालना में पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार नही किये है। रास्ते का प्रावधान नही रखा गया है। पक्षकारान के खेत से निकटतम कटानी रास्ते तक जोड़ने के लिये मौका रिपोर्ट नही दी गई है। अत अपील स्वीकार कर अन्तिम डिक्री खारिज की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को पुन मौका रिपोर्ट तैयार कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु रिमाण्ड किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील संख्या 93/2017 के अपीलांट ने प्राथमिक डिक्री की अपील की है। अन्तिम डिक्री की अपील नही की है। इस अपील में अपीलांट ने मृतक पक्षकार गोकल, जुगलाल, भगवानाराम के वारिसान को रिकार्ड पर नही लिया है। ऐसी स्थिति में मृतक पक्षकार के विरूद्व होने से अपील अबैट हो चुकी है। यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में प्राथमिक डिक्री की अपील के अपीलांट के विरूद्व इनकारी से तामील प्राप्त होने पर एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया है। इन अपीलांट द्वारा विधिक प्रकिया अनुसार विचारण न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय कार्यवाही मनसुख करवाने हेतु कोई चाराजोही नही की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्राथमिक डिक्री विभाजन के सन्दर्भ में जारी की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विभाजन की प्राथमिक डिक्री से अपीलांट किस प्रकार प्रभावित हो रहे है इसका भी कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

अंकन अपील मेमों में दर्ज नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद के प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक डिक्री की अपील संख्या 93/2017 खारिज योग्य पाई जाती है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्राथमिक डिक्री में जारी निर्देशों की पालना में पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार नही किये है। रास्ते का प्रावधान नही रखा गया है। पक्षकारान के खेत से निकटतम कटानी रास्ते तक जोड़ने के लिये मौका रिपोर्ट धारा 251ए के प्रावधानों के अनुरूप नही दी गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन अन्तिम डिक्री को विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 93/2017 खारिज की जाती है एवं अपील संख्या 191/2015 स्वीकार कर अन्तिम डिक्री खारिज की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार स्वंय प्राथमिक डिक्री केअ अनुसार विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार करे विचारण न्यायालय इन विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। विचारण न्यायालय पक्षकारान की भूमि से निकटतम कटानी रास्ते तक खातेदारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट धारा 251ए के प्रावधानों के अनुरूप तैयार करवाकर प्राप्त करें तदुपरान्त खातेदारान को सुनकर रास्ते के सन्दर्भ में गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.12.2022 को उपस्थिति देवें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(राज.)

निर्णय आज दिनांक 9/1/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर